न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः प्रभातीलाल जाट, आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं0––114/2015(77/2009)

प्रविष्टि दिनांक ––26.5.2015(10.7.2009)

1. रामगोपाल उर्फ मुन्ना पुत्र केसरा जाति बैरवा निवासी ग्राम ऊम, तहसील व जिला टोंक
2. भरोसी पुत्री केसरा जाति बैरवा निवासी ग्राम ऊम, तहसील व जिला टोंक
3. मेना पुत्री केसरा जाति बैरवा निवासी ग्राम ऊम, तहसील व जिला टोंक
4. छोटी बेवा केसरा जाति बैरवा निवासी ग्राम ऊम, तहसील व जिला टोंक

–वादीगण

बनाम

1. रामकिशन पुत्र माधो जाति बैरवा निवासी ग्राम ऊम, तहसील व जिला टोंक
2. मदन पुत्र माधो जाति बैरवा निवासी ग्राम ऊम, तहसील व जिला टोंक
3. गुलाब बेवा माधो जाति बैरवा निवासी ग्राम ऊम, तहसील व जिला टोंक
4. तहसीलदार टोंक

– प्रतिपक्षीगण

उपस्थित–श्री जै0के0 जैन–अभिभाषक वादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक , तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक– 20/3/18

वादीगण द्वारा उक्त वाद पूर्व मे न्यायालय हाजा मे 77/2009 पर दर्ज किया गया था जिसमे दिनांक 28.4.2010 को न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय किया जाकर वाद खारिज कर दिया गया जिसके अपील वादीगण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी टोंक के समक्ष की गई जिसके निर्णय मे अधिनस्थ (उपखण्ड अधिकारी टोंक) न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.4.2010 को अपास्त किया जाकर , निर्णय के पैरा सं0 5 मे वर्णित तथ्यात्मक स्थिति के परिप्रेक्ष्य मे पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ प्ररकण प्रतिप्रेषित किया गया है।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीण की संयुक्त अविभाजित आराजी ख.न. 165 रकबा 16 बिस्वा, ख.न. 166 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा, ख.न. 242 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा कुल किता– 3, कुल रकबा 18 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम ऊम तहसील टोंक मे स्थित है। उक्त आराजी मे वादीगण का 1/2 हिस्सा है। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का 1/2 हिस्सा है, तदनुसार मौके पर काबिज है। किन्तु वादी सं0 1 का नाम गलत रूप से बाबू एवं वादी सं0 2 का मोत्या वादी सं0 3 का प्रेम राजस्व रिकार्ड मे अंकित कर रखा है। इस कारण राजस्व रिकार्ड मे किया गया गलत अंकन को दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि का मौके पर विधिवत तकासमा नही हुआ है। इस कारण प्रतिवादीगण, वादीगण के बाहर रहने का फायदा उठाकर सम्पूर्ण भूमि हड़प करना चाहते है। अतः वादीगण के हिस्से का तकासमा किया जाकर वादीगण के नाम खाता कायम किया जावे। प्रतिवादीगण , वादीगण के कब्जेकाश्त मे हस्तक्षेप करने लगे है। अतः उन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के कब्जेकाश्त मे मजाहमत नही करे। वादीगण का नाम बाबू के स्थान पर जमाबंदी मे रामगोपाल उर्फ मुन्ना तथा मोत्या के स्थान पर भरोसी एवं प्रेम के स्थान पर मैना दुरूस्त किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही की गई।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप में जमाबंदी संवत 2064–67, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, काबरा ग्राम सेवा सहकारी समिति टोंक काबरा , ग्राम पंचायत का

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

प्रमाणपत्र, आधोली पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रिपोर्ट पटवारी, गोद पत्र आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

मा0 न्यायालय राजस्व अधिकारी टोंक मे निर्णय दिनांक 7.4.2015 मे अंकित तथ्यों के संबंध मे तहसीलदार टोंक से मौका एवं वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाही गई। कई बार लिखा जाने के उपरान्त भी तहसीलदार टोंक द्वारा रिपोर्ट नही भिजवाई गई। प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस की जिसका पृथक से विवेचन नही किया जा रहा हैं।

हमने पत्रावली, बयान एवं साक्ष्य दस्तारवेजो का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। प्रकरण को राजस्व लोक अदालत शिविर मे भी प्रस्तुत किया गया था। शिविर के दौरान प्रकरण मे वादीगण के संबधं में जानकारी प्राप्त की गई। मजमेआम या ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया कि वादीगण का परिवार काफी समय पूर्व ही गांव छोडकर चले गये थे। चूंकि वादीगण काफी समय से बाहर रह रहा है तो संभव है केसरा की विरासत का नामान्तरकरण भरते समय पटवारी हल्का द्वारा परिवार जनो से जानकारी प्राप्त करके बोलते नाम या जानकारी के अनुसार नामान्तरकरण भर दिया गया हो। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार बाबू पुत्र केसरा को रामगोपाल उर्फ मुन्ना , मोत्या पुत्री केसरा को भरोसी पुत्री केसरा , प्रेम पुत्री केसरा को मीना पुत्री केसरा के नामो से भी जाना जाता है। प्रार्थीगण अलग अलग ना होकर एक ही व्यक्ति है। काबरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 काबरा द्वारा दिये गये मुआवजे से भी जमाबंदी मे अंकित नाम व वादीगण एक ही व्यक्ति के होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार साक्ष्य दस्तावेजो से साबित है कि जमाबंदी मे अंकित नाम एवं वादीगण एक ही व्यक्ति है। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से तलब किया गया लेकिन उनके द्वारा नोटिस लेने से इंकार कर दिया गया। प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति या उनके द्वारा किसी भी प्रकार की आपतित प्रस्तुत नही करना भी वाद पत्र में अंकित तथ्यों की स्वीकारोक्ति को दर्शाता है। अतः साक्ष्य दस्तावेजो के आलोक मे एवं राजस्व शिविर के दौरान ग्रामवासियों से की गई जानकारी के प्रकाश में वाद पत्र के तथ्यो की पुष्टि होती है। अतः यह न्यायालय वाद वादी स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

फलतः वाद वादीगण बाबत इस्तकरारहक , तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा, ख.न. 165 रकबा 16 बिस्वा, ख.न. 166 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा, ख.न. 242 रकबा 4 बधा 10 बिस्वा कुल किता– 3, कुल रकबा 18 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम ऊम तहसील टोंक स्वीकार किया जाकर, ग्राम ऊम की जमाबंदी संवत 2072–75 के खाता सं0 90 मे अंकित नाम बाबू, मोत्या प्रेम पि. केसरा, छोटी पत्नी स्व0 केसरा हि0 1/2 बिला रहन के स्थान पर वादीगण का नाम बाबू के स्थान पर रामगोपाल उर्फ मुन्ना , मोत्या के स्थान पर भरोसी पुत्री केसरा एवं प्रेम के स्थान पर मैना पुत्री केसरा दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर, पालना से अवगत करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 20/3/18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(प्रभातीलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक (राज0)

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

मुकाम टोंक व अलजाम प्रभातीलाल जाट, आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित

वाद पत्र सं0––114/2015(77/2009)

उनवान

1. रामगोपाल उर्फ मुन्ना पुत्र केसरा जाति बैरवा निवासी ग्राम ऊम, तहसील व जिला टोंक
2. भरोसी पुत्री केसरा जाति बैरवा निवासी ग्राम ऊम, तहसील व जिला टोंक
3. मेना पुत्री केसरा जाति बैरवा निवासी ग्राम ऊम, तहसील व जिला टोंक
4. छोटी बेवा केसरा जाति बैरवा निवासी ग्राम ऊम, तहसील व जिला टोंक

–वादीगण

बनाम

1. रामकिशन पुत्र माधो जाति बैरवा निवासी ग्राम ऊम, तहसील व जिला टोंक
2. मदन पुत्र माधो जाति बैरवा निवासी ग्राम ऊम, तहसील व जिला टोंक
3. गुलाब बेवा माधो जाति बैरवा निवासी ग्राम ऊम, तहसील व जिला टोंक
4. तहसीलदार टोंक

– प्रतिपक्षीगण

उपस्थित–श्री जै0के0 जैन–अभिभाषक वादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक , तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि **वाद वाद वादीगण बाबत इस्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा, ख.न. 165 रकबा 16 बिस्वा, ख.न. 166 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा, ख.न. 242 रकबा 4 बधा 10 बिस्वा कुल किता– 3, कुल रकबा 18 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम ऊम तहसील टोंक स्वीकार किया जाकर, ग्राम ऊम की जमाबंदी संवत 2072–75 के खाता सं0 90 मे अंकित नाम बाबू मोत्या प्रेम पि. केसरा, छोटी पत्नी स्व0 केसरा हि0 1/2 बिला रहन के स्थान पर वादीगण का नाम बाबू के स्थान पर रामगोपाल उर्फ मुन्ना , मोत्या के स्थान पर भरोसी पुत्री केसरा एवं प्रेम के स्थान पर मैना पुत्री केसरा दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर, पालना से अवगत करावे।**

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज **तारीख** 20/3/18 को जारी किया गया।

(प्रभातीलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)